

गृह नगर घोषणा HOME TOWN DECLARATION

गृह नगर घोषणा यात्रा भत्ता के उद्देश्य के लिए मंत्रालय के दिनांक 11.10.1965 के का.ज्ञा.सं. 43/1/55-स्था.(ए)-

भाग-II के द्वारा अनुमोदितानुसार

DECLARATION OF HOME TOWN FOR THE PURPOSE OF TRAVELLING
ALLOWANCES SANCTIONED VIDE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
O.M.NO.43/1/55-EST. (A)-PART II DATED 11-10-1956.

1	सरकारी कर्मचारी का नाम (बड़े अक्षरों में) Name of Government Servant (IN BLOCK LETTERS)	:	
2	नियुक्ति की तिथि Date of appointment	:	
3	वर्तमान पद Present Post	:	
4	वर्तमान वेतन Present Salary	:	
5	स्थायी निवास का पता (सेवा पुस्तिका में रिकार्ड किए अनुसार नजदीकी रेल स्टेशन सहित) Permanent Home address (including nearest Railway Station as recorded in the Service Book.)	:	
6	गृह नगर घोषणा देने का कारण (यथा अचल संपत्ति का मालिकाना हक, नजदीकी रिसतेदारों जैसे अभिभावक, भाई आदि का स्थायी निवास आदि रिसतेदारों का नाम एवं उनके पेशा का उल्लेख किया जाए। Reasons for the declaration Home Town (Such as ownership of immovable property, permanent residence of near relatives such as parents, brothers, etc., relationship name and occupation of such relatives)	:	

दिनांक Date:

कर्मचारी का हस्ताक्षर Signature of Employee

स्थान Place:

प्रतिहस्ताक्षरित Countersigned